रजत पदक जीतने पर बधाई दी

कोटा, (निसं)। राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान, कोटा संभाग के अध्यक्ष नवनीत महर्षि तथा जिलाध्यक्ष तेजराज सिंह ने 65 वर्षीय खजान सिंह, सेवानिवृत हेड कांस्टेबल को चेन्नई में आयोजित 23 वीं एशिया मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप की ट्रिपल जंप प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने पर बधाई दी है।

कार्यालय नगर परिषद बारां (राज.)

क्रमांक:-नपबा/ तामीर शाखा/2025/7152 **सार्वजनिक विज्ञप्ति** दिनांक 11.11.2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री धर्मेन्द्र राठौर पुत्र श्री चन्द्रेश राठौर निवासी बारां द्वारा उपविभाजन चाहा गया है। जिसमें पट्टा संख्या 7821 दिनांक 22.09.2023 भूखण्ड संख्या 24 माप 1025 वर्गफीट, योजना पवन वाटिका का श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री छप्पनलाल के नाम जारी किया गया था। तत्पश्चात पट्टाधारक द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.10.2025 से उक्त भूखण्ड में से भूखण्ड संख्या 24ए माप 512.5 वर्गफिट श्री धर्मेन्द्र राठौर पुत्र श्री चन्द्रेश राठौर के नाम बेचान कर दिया। आवेदक द्वारा नगर परिषद बारां से अंकित मापो पर उपविभाजन चाहा गया है। जिसमें भूखण्ड संख्या 24ए माप 512.5 वर्गफिट श्री धर्मेन्द्र राठौर पुत्र श्री चन्द्रेश राठौर के नाम किया जाना है। व शेष भाग पट्टाधारक का ही रहेगा। उक्त सम्पत्ति के संबंध में अन्य किसी को आपत्ति हो तो अन्तर 7 दिवस में आपत्ति मय दस्तावेजो के साथ कार्यालय हजा में प्रस्तुत करे। बाद अवधि गुजर जाने पश्चात आपत्ति मान्य नही होगी।

आयुक्त, नगर परिषद बारां

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

क्रमांक:-LU2012/KOT/2025-26/101088 **लोक सूचना** दिनांक:-13.11.2025

श्री YUGAL KISHOR MEENA पुत्र श्री BHAMBAL RAM MEENA जाति MEENA निवासी GRAM-NADOTI, TEH-NADOTI, KARAULI ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का फार्म हाउस प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	निर्मित क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	विनायका तलेड़ा (बूंदी)	YUGAL KISHOR MEENA S/O BHAMBAL RAM MEENA CASTE-MEENA DIST-SAWAI MADHOPUR KHATEDAR	945/912	0.4533	0.4533
				कुल	0.4533

इसलिये, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के आभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 13.11.2025 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 2330 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 13.11.25

आवास संख्या 3-क-14 विज्ञान नगर, कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा श्री कमल कुमार गर्ग पुत्र श्री श्याम लाल गर्ग को किया गया था। श्री कमल कुमार गर्ग पुत्र श्री श्याम लाल गर्ग की मृत्यु हो जाने के उपरांत उक्त आवास का हस्तांतरण श्री दीपक कुमार गर्ग पुत्र स्व. श्री श्याम लाल गर्ग के नाम किया गया। इस आवास का पंजीयन श्री दीपक कुमार गर्ग पुत्र स्व. श्री श्याम लाल गर्ग के नाम दिनांक 18.02.1995 को किया गया। श्री दीपक कुमार गर्ग पुत्र स्व. श्री श्याम लाल गर्ग की मृत्यु दिनांक 31.08.2025 को हो चुकी हैं। इनकी मृत्यु उपरांत इनके वारिसानों मे श्रीमती रूचि पुत्री स्व. श्री दीपक कुमार गर्ग पत्नी श्री जीवन सिंघल एवं मनिशा गर्ग पुत्री स्व. श्री दीपक कुमार गर्ग द्वारा उक्त आवास में निहित अपने अविभाजित हिस्से का त्याग जरिये रिलीज डीड (हक त्याग पत्र) आलेखित कर दिनांक 14.09.2025 को श्रीमती पवन गर्ग पत्नी स्व. श्री दीपक गर्ग के पक्ष में किया गया। श्रीमती पवन गर्ग पत्नी स्व. श्री दीपक गर्ग द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 3-क-14 विज्ञान नगर, कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र एवं रिलीज डीड (हक त्याग पत्र) के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया।

अत: उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र एवं रिलीज डीड (हक त्याग पत्र) के आधार पर श्रीमती पवन गर्ग पत्नी स्व. श्री दीपक गर्ग के नाम करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास का हस्तांतरण / प्रतिस्थापन श्रीमती पवन गर्ग पत्नी स्व. श्री दीपक गर्ग के नाम किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्रीमती पवन गर्ग पत्नी स्व. श्री दीपक गर्ग के नाम कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 2224 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 04.11.25

आवास संख्या 2-च-25 दादाबाड़ी कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री महेश चन्द्र टण्डन पुत्र श्री कन्हैया लाल को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्री महेश चन्द्र टण्डन पुत्र श्री कन्हैया लाल द्वारा दिनांक 26.06.1990 को अपने पक्ष में करवाया जा चुका है। पंजीयन उपरांत श्री महेश चन्द्र टण्डन पुत्र श्री कन्हैया लाल द्वारा उक्त आवास से सम्बन्धित समस्त कार्य करने हेतु अपनी ओर से दिनांक 06.04.1992 को श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री आज्ञाराम को मुख्तारनामा आम धारक नियुक्त किया गया। श्री रवीन्द्र कुमार पुत्र श्री आज्ञाराम द्वारा मुख्तारनामा आम धारक की हैसियत से इस आवास के एक भाग का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 09.07.1992 को श्री मूल चन्द पुत्र श्री चेला राम को किया गया। इस प्रकार श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री आज्ञाराम द्वारा मुख्तारनामा आम धारक की हैसियत से इस आवास के शेष भाग का बैचान जरिये विकय पत्र आलेखित कर दिनांक 09.07.1992 को श्रीमती मंजू कुमारी पत्नी श्री मुरलीधर को किया गया। श्री मूल चन्द दासवानी पुत्र श्री चेला राम की मृत्यु दिनांक 05.09.2020 को हो चुकी हैं। इनकी मृत्यु उपरांत इनके समस्त वारिसानों में हर्ष दासवानी, संदीप दासवानी, नवीन दासवानी पुत्रान स्व. श्री मूल चन्द दासवानी द्वारा उक्त आवास में निहित अपने अविभाजित हिस्से का त्याग जरिये हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) आलेखित कर दिनांक 06.10.2021 को इनकी माता श्रीमती लाजवंती दासवानी पत्नी स्व. श्री मूल चन्द दासवानी के पक्ष में किया गया। श्रीमती मंजू कुमारी पत्नी श्री मुरलीधर द्वारा उक्त आवास का उपहार जरिये उपहार पत्र आलेखित कर दिनांक 09.03.2023 को अपनी जेठानी श्रीमती लाजवंती दासवानी पत्नी स्व. श्री मूल चन्द दासवानी को किया गया। श्रीमती लाजवंती दासवानी पत्नी स्व. श्री मूल चन्द दासवानी का नाम एवं हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) के आधार पर दिनांक 26.05.2023 को मंडल अभिलेख में दर्ज किया जा चुका है। तत्पश्चात श्रीमती लाजवंती दासवानी पत्नी स्व. श्री मूल चन्द दासवानी द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 30.03.2025 को श्रीमत सुमित्रा शर्मा पुत्री स्व. श्री मिश्रीलाल जोशी को किया गया। श्रीमती सुमित्रा शर्मा पुत्री स्व. श्री मिश्रीलाल जोशी द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 2-च-25 दादाबाडी कोटा को विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मण्डल भिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।

अत: इस आवास के मण्डल अभिलेख में श्रीमती सुमित्रा शर्मा पुत्री स्व. श्री मिश्रीलाल जोशी का नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस क ष्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि इस आवास के मण्डल अभिलेख में श्रीमती सुमित्रा शर्मा पुत्री स्व. श्री मिश्रीलाल जोशी का नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में श्रीमती सुमित्रा शर्मा पुत्री स्व. श्री मिश्रीलाल जोशी का नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 2337 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 13.11.25

आवास संख्या 1-डी-27 तलवण्डी, कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा श्री सुल्तान मोहम्मद पुत्र श्री भूरे अली को किया गया था। इस आवास का नियमितिकरण श्री अब्दुल रजाक पुत्र श्री सुल्तान मोहम्मद के नाम दिनांक 07.07.1994 को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्री अब्दुल रजाक पुत्र श्री सुल्तान मोहम्मद के नाम दिनांक 02.12.1994 को किया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री अब्दुल रजाक पुत्र श्री सुल्तान मोहम्मद की मृत्यु दिनांक 28.02.2019 को हो चुकी हैं। इनकी मृत्यु उपरांत इनके वारिसानों मे श्रीमती मुमताज बेगम पत्नी स्व. श्री अब्दुल रजाक एवं श्री अब्दुल सलीम सुहैल स्व. श्री अब्दुल रजाक द्वारा उक्त आवास में निहित अपने अविभाजित हिस्से का त्याग जरिये रिलीज डीड (हक त्याग पत्र) आलेखित कर दिनांक 21.09.2025 को श्री एजाज अहमद एवं श्री अब्दुल जावेद पिसरान् स्व. श्री अब्दुल रजाक के पक्ष में संयुक्त रूप से किया गया। श्री एजाज अहमद एवं श्री अब्दुल जावेद पिसरान् स्व. श्री अब्दुल रजाक द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 1-डी-27 तलवण्डी, कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/ प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र एवं रिलीज डीड (हक त्याग पत्र) के आधार पर संयुक्त रूप से करने हेतु आवेदन किया गया।

अत: उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र एवं रिलीज डीड (हक त्याग पत्र) के आधार पर श्री एजाज अहमद एवं श्री अब्दुल जावेद पिसरान् स्व. श्री अब्दुल रजाक के नाम संयुक्त रूप से करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री एजाज अहमद एवं श्री अब्दुल जावेद पिसरान् स्व. श्री अब्दुल रजाक के नाम संयुक्त रूप से किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/ प्रतिस्थापन श्री एजाज अहमद एवं श्री अब्दुल जावेद पिसरान् स्व. श्री अब्दुल रजाक के नाम संयुक्त रूप से कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 2335 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 13.11.25

आवास संख्या 4-त-10 विज्ञान नगर, कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा श्री वी. के. वर्मा पुत्र श्री बी. पी. वर्मा को किया गया था। श्री वी. के. वर्मा पुत्र श्री बी. पी. वर्मा की मृत्यु हो जाने के उपरान्त उक्त आवास का हस्तांतरण इनकी पत्नी श्रीमती रीता वर्मा को दिनांक 21.04.1990 को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्रीमती रीता वर्मा पत्नी स्व. श्री विजय कुमार वर्मा द्वारा दिनांक 10. 07.1990 को अपने पक्ष में करवाया जा चुका है। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्रीमती रीता वर्मा पत्नी स्व. श्री विजय कुमार वर्मा की मृत्यु दिनांक 14.01.2022 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु उपरांत इनके वारिसानों में श्री परिवेश पियूष व श्री अनिमेष अंशु पुत्रान स्व. श्री विजय कुमार वर्मा एवं श्रीमती नैन्सी सिन्हा पत्नी श्री विनय सिन्हा पुत्री स्व. श्री विजय कुमार वर्मा द्वारा उक्त आवास हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बंधक पत्र, शपथ पत्र, एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर संयुक्त रूप से करने हेतु आवेदन किया गया।

अत: उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, के आधार पर श्री परिवेश पियूष व श्री अनिमेष अंशु पुत्रान स्व. श्री विजय कुमार वर्मा एवं श्रीमती नैन्सी सिन्हा पत्नी श्री विनय सिन्हा पुत्री स्व. श्री विजय कुमार वर्मा के नाम संयुक्त रूप से करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री परिवेश पियूष व श्री अनिमेष अंशु पुत्रान स्व. श्री विजय कुमार वर्मा एवं श्रीमती नैन्सी सिन्हा पत्नी श्री विनय सिन्हा पुत्री स्व. श्री विजय कुमार वर्मा के नाम संयुक्त रूप से किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री परिवेश पियूष व श्री अनिमेष अंशु पुत्रान स्व. श्री विजय कुमार वर्मा एवं श्रीमती नैन्सी सिन्हा पत्नी श्री विनय सिन्हा पुत्री स्व. श्री विजय कुमार वर्मा के नाम संयुक्त रूप से कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 2336 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 13.11.25

आवास संख्या 1-ग-10 दादाबाडी, कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा श्री मदन गोपाल गुप्ता पुत्र श्री एम.एम. गुप्ता को किया गया था। इस आवास का पंजीयन श्री मदन गोपाल गुप्ता पुत्र श्री एम.एम. गुप्ता द्वारा दिनांक 21.10.1993 को अपने पक्ष में करवाया गया। पंजीयन उपरांत श्री मदन गोपाल गुप्ता पुत्र श्री एम.एम. गुप्ता द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 18.02.1997 को श्री सुभाष चन्द्र मल्हौत्रा पुत्र श्री वी. एस. मल्होत्रा को किया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री सुभाष चन्द्र मल्हौत्रा पुत्र श्री वी. एस. मल्हौत्रा की मृत्यु दिनांक 13.08.2025 को (सी.पी. 37) हो जाने के उपरांत् इनके वारिसानों में श्रीमती रचना मल्होत्रा पत्नी स्व. श्री सुभाष चन्द्र मल्होत्रा, एवं श्री मोहित मल्होत्रा व श्री रोहित मल्होत्रा पुत्रान स्व. श्री सुभाष चन्द्र मल्होत्रा द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 1-ग-10 दादाबाडी, कोटा का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया।

अत: उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, के आधार पर श्रीमती रचना मल्होत्रा पत्नी स्व. श्री सुभाष चन्द्र मल्होत्रा, एवं श्री मोहित मल्होत्रा व श्री रोहित मल्होत्रा पुत्रान स्व. श्री सुभाष चन्द्र मल्होत्रा के नाम संयुक्त रूप से करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्रीमती रचना मल्होत्रा पत्नी स्व. श्री सुभाष चन्द्र मल्होत्रा, एवं श्री मोहित मल्होत्रा व श्री रोहित मल्होत्रा पुत्रान स्व. श्री सुभाष चन्द्र मल्होत्रा के नाम संयुक्त रूप से किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्रीमती रचना मल्होत्रा पत्नी स्व. श्री सुभाष चन्द्र मल्होत्रा, एवं श्री मोहित मल्होत्रा व श्री रोहित मल्होत्रा पुत्रान स्व. श्री सुभाष चन्द्र मल्होत्रा के नाम संयुक्त रूप से कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

प्रदेश में विकास का आदर्श क्षेत्र बनकर उभरेगा सांगोद : बिरला

- **29 करोड़ रूपए के विकास कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास हुआ**

कोटा, (निसं)। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को सांगोद में सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामुदायिक भवनों और पार्कों से जुडे 29 करोड रूपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि सांगोद के सर्वांगीण विकास के लिए तेज़ और ठोस कदम उठाए जा रहे हैं तथा 600 करोड़ रूपख्ऐ रूपए से अधिक की परियोजनाएं वर्तमान में प्रगतिरत हैं। इन कार्यों के पूरा होने पर सांगोद प्रदेश के प्रमुख विकास मॉडल के रूप में उभरेगा।

इस अवसर पर सुपोषित मां अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को पोषण किट वितरित की गईं। बिरला ने कहा कि पिछले छह वर्षों में इस अभियान ने हज़ारों परिवारों तक स्वास्थ्य सुरक्षा पहुँचाई है और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ मां और स्वस्थ शिशु का संकल्प ही मजबूत समाज की बुनियाद है।

सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित यूनिटी मार्च में बिरला युवाओं के साथ शामिल हुए। उन्होंने कहा कि पटेल जी की एकता, अनुशासन और राष्ट्रधर्म की सीख आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद 565 रियासतों को एक भारत में जोडना पटेल जी के अदम्य नेतृत्व और दूरदृष्टि का प्रमाण है। बिरला ने युवाओं से कहा कि वे एकता और सेवा की भावना के साथ एक भारत, श्रेष्ठ भारत के निर्माण में योगदान दें।

बिरला ने कहा कि सांगोद में नए जीएसएस, मजबूत ट्रांसमिशन लाइनें और उन्नत विद्युत ढांचा विकसित किया जा रहा है, जिससे कृषि, उद्योग और घरेलू उपभोक्ताओं को बेहतर आपूर्ति मिलेगी। ग्रामीण संपर्क सड़कों और पुलों का निर्माण तेज़ी से जारी है, जिससे गांवों की कनेक्टिविटी और बाजारों तक पहुंच में बडा सुधार हुआ है। नए जल शोधन संयंत्र, पाइपलाइन और नालों के आधुनिकीकरण से नगर की पेयजल और स्वच्छता व्यवस्था और अधिक मजबूत हुई है, जिसका सीधा प्रभाव स्वास्थ्य पर दिखाई देगा।

स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में मोबाइल मेडिकल यूनिट, नि:शुल्क जांच शिविर और रेफरल सुविधाओं के साथ कोटा में कैंसर अस्पताल की स्वीकृति क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है। लिवर और अन्य जांचों के लिए अत्याधुनिक मशीनें भी जल्द उपलब्ध होंगी। विद्यालयों का उन्नयन, पुस्तकालयों की स्थापना और नए सामुदायिक भवनों का निर्माण शिक्षा और सामाजिक विकास को नई दिशा दे रहा है।

बिरला ने कहा कि आपदा प्रभावित किसानों को शीघ्र मुआवजा देने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। फसल नुकसान की राशि सीधे किसानों के खातों में भेजी जा रही है, जिससे पारदर्शिता और त्वरित राहत सुनिश्चित हो रही है।

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सभी परियोजनाओं की गुणवत्ता और पारदर्शिता पर कडी निगरानी रखी जा रही है ताकि हर कार्य टिकाऊ और जनहितकारी हो। उन्होंने कार्यकर्ताओं और अधिकारियों से कहा कि वे गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएँ सुनें और प्राथमिकता के आधार पर उनका समाधान सुनिश्चित करें।

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित यूनिटी मार्च में बडी संख्या में युवाओं ने भाग लेकर एकता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सांगोद क्षेत्र में आज कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, जो क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक दिन है।

नागर ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निरंतर प्रयासों से सांगोद में पेयजल, सड़क, नालों, स्ट्रीट लाइट, पिंक टॉयलेट, विद्यालय उन्नयन, सामुदायिक भवन और ळै जैसी कई परियोजनाएँ पूरी हो रही हैं। नई पेयजल योजना, फोर लेन रोड, विद्युत ढांचे का विस्तार और नालों के विकास जैसे कार्यों से सांगोद का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। उन्होंने कहा कि अधिक बारिश से प्रभावित किसानों को राहत दिलाने के लिए मुआवजा प्रक्रिया तेज की गई है।

कार्यक्रम में जिला प्रमुख मुकेश मेघवाल, कोटा देहात जिलाध्यक्ष प्रेम गोचर, सांगोद प्रधान जयवीर सिंह, सुल्तानपुर प्रधान कृष्णा शर्मा, जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष मनोज शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा, सांसद खेल महोत्सव संयोजक विशाल शर्मा, जिला परिषद् सदस्य किशनचंद गुप्ता, राजनीता मेघवाल, अंजना मीणा, सांगोद उप प्रधान ओम नागर, जिला महामंत्री ललित शर्मा, बपावर मंडल अध्यक्ष राजेश शर्मा, सांगोद नगर मंडल अध्यक्ष चंद्रप्रकाश सोनी, सांगोद देहात मंडल अध्यक्ष मुरारी मेहता, कनवास मंडल अध्यक्ष सत्यवान नागर, देवली मंडल अध्यक्ष विजयशंकर सैनी, दीगोद मंडल अध्यक्ष इंद्र कुमार खंडेलवाल, सीमलिया मंडल अध्यक्ष उछमा मीणा सहित अन्य जनप्रतिनिधि और बडी संख्या में सांगोदवासी उपस्थित रहे।

पीएम स्वनिधि शिविर में 20 आवेदन आए

- **स्वरोजगार के लिए दे रहे 90 हजार तक का ऋण**
- **श्रीनाथपुरम क्षेत्र में शिविर आज**

कोटा (निसं)। नगर निगम कोटा द्वारा पीएम स्वनिधि योजना में नए आवेदन के लिए शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

योजना में नवीन प्रावधान के तहत शहरी पथ विक्रेताओंए रेहडी-फेरी वालों हेतु आजीविका रोजगार प्रारंभ करने हेतु एक लघु ब्याज आधारित ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। पथ विक्रेता जैसे सौंदर्य उत्पादए झाडू मिट्टी के बर्तनए मनिहारी फल सब्जी विक्रेताए ठेला-थडी हस्तशिल्प चाय नाश्ते की टपरी तथा स्टेशनरी आदि व्यवसायों को अपनी आजीविका स्थिति सुधारने के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है ऐसे पात्र व्यक्तियों को 90ए000 रुपए तक का ऋण मिलेगा तथा लाभार्थी को बैंक के माध्यम से 3 किस्तों में ऋण राशि उपलब्ध करवाई जावेगी साथ ही लाभार्थियों द्वारा द्वितीय ऋण के पुर्नभुगतान करने के बाद 30,000 का क्रेडिट कार्ड हेतु आवेदन के पात्र होंगे।

साथ ही लाभार्थी द्वारा डिजिटल लेनदेन हेतु करने पर राशि 1200 कैशबैक प्रोत्साहन स्वरूप उपलब्ध करवाया जाएगा एवं योजना में लाभान्वितों को स्वनिधि से समृद्धि योजना के तहत सरकार की 09 योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। इसी क्रम में नगर निगम कोटा के क्षेत्राधिकार चल रहे शिविर में गुरूवार को आयोजित शिविर में पीएम स्वनिधि योजना के कुल 20 आवेदन प्राप्त हुए।

श्रीनाथपुरम क्षेत्र में शिविर आज:-योजना के तहत शुक्रवार को को वार्ड संख्या 9, 10, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 52, 53 का शिविर श्रीनाथपुरम फायर स्टेशन में आयोजित किया जायेगा। आमजन से अपील है कि इन शिविरों का अधिक से अधिक लाभ उठायें।

बईजलास श्री S.N. Vyas आर.एच.जे.एस.
माननीय न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा

उत्तराधिकार प्रार्थना पत्र संख्या 32/2025

राजेश श्रीवास्तव आत्मज श्री जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव आयु 51 वर्ष जाति कायस्थ निवासी 2-ई-20, तलवण्डी, कोटा (राज.) पुलिस थाना क्षेत्र जवाहर नगर, कोटा आधार नम्बर 4697 8226 1880 मोबाईल नम्बर 09928370008 -प्रार्थी

बनाम

सर्वसाधारण (आम जनता) - अप्रार्थिगण

प्रार्थना पत्र बाबत् वसीयत के आधार पर प्रोबेट जारी के क्रम में।
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 276 भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम
आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी ने मृतका सुश्री सुशील कुमारी सक्सेना जिनकी मृत्यु 01.09.2025 को हो गई है उनके द्वारा निष्पादित वसीयत श्री राजेश श्रीवास्तव के पक्ष में की गई है उसके आधार पर मृतका सुश्री सुशील कुमारी सक्सेना की समस्त चल-अचल सम्पत्ति बाबत् मुझ प्रार्थी राजेश श्रीवास्तव आत्मज श्री जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव आयु 51 वर्ष जाति कायस्थ निवासी 2-ई-20, तलवण्डी, कोटा (राज.) पुलिस थाना क्षेत्र जवाहर नगर, कोटा द्वारा स्वयं के पक्ष में प्रोबेट जारी करने का आवेदन किया गया है। 2. यह कि मैं प्रार्थी सुश्री सुशील कुमारी सक्सेना पुत्री स्वर्गीय श्री बृजनन्दन सक्सेना आयु 89 वर्ष जाति कायस्थ निवासी मकान नम्बर 227-228, शॉपिंग सेन्टर, कोटा (राज.) का विधिक उत्तराधिकारी हूं तथा सुश्री सुशील कुमारी सक्सेना की मृत्यु दिनांक 01.09.2025 को होने के बाद उनके द्वारा मेरे पक्ष में निष्पादित वसीयत दिनांक 18.04.2023 के अनुसार उनकी मृत्यु उपरांत मैं मृतका सुश्री सुशील कुमारी सक्सेना का एकमात्र विधिक वारिस एवं उत्तराधिकारी हूं। 3. यह कि मृतका सुश्री सुशील कुमारी सक्सेना की स्वअर्जित चल अचल सम्पत्ति एवं उनको जरिये वसीयत प्राप्त उनकी बड़ी बहन डॉक्टर सुश्री चन्द्र कुमारी सक्सेना की समस्त चल अचल सम्पत्तियां जिनकी एक मात्र मालिक, काबिज मृतका सुश्री सुशील कुमारी सक्सेना थी जिनका विवरण निम्नलिखित है:- 1. मकान. नम्बर 227-228 शॉपिंग सेन्टर, कोटा (राज.) जो दो मंजिला बना हुआ है तथा ग्राउण्ड तल पर दुकाने बनी हुई है।, 2. मकान नम्बर 22-सी-2, एसएफएस सेक्टर-22, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर (राज.) जो आज भी हाऊसिंग बोर्ड कंडीशन में बना हुआ है।, 3. फ्लेट नम्बर 503, आंकाक्षा अपार्टमेन्ट जो प्लाट नम्बर 94, बल्लभबाड़ी, कोटा (राज.) पर निर्मित है एवं विभिन्न बैंकों में जमाशुदा राशियों का विवरण व लॉकर में रखी हुई राशियां, जेवरात वगैराह के संबंध में माननीय न्यायालय में उक्त वसीयत के आधार पर प्रार्थी ने स्वयं के नाम प्रोबेट जारी करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अत: सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि प्रार्थी के पक्ष में उक्त आशय का प्रोबेट जारी करने में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 15.01.2026 को प्रात: 10 AM बजे असालतन या वकालतन उपस्थित होकर आपत्ति पेश करें अन्यथा प्रार्थी के पक्ष में प्रोबेट जारी कर दिया जाएगा ओर बाद में कोई आपत्ति नहीं सुनी जाएगी।

आज दिनांक 07.11.25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया है।

कोटा
दिनांक
मोहर अदालत

न्यायालय के आदेश से
वरिष्ठ मुंसरिम
जिला एवं सेशन न्यायालय कोटा राज.)

कोटा से आयी टीम ने झालरापाटन में नेत्रदान लिया

कोटा, (निसं)। बुधवार शाम, स्वर्ण पथ, झालरापाटन निवासी मनोज और जितेंद्र जैन के पिता प्रवीण चंद्र जैन (महावीर बस वाले), का एसआरजी हॉस्पिटल झालावाडॉ. में आकस्मिक निधन हो गया।

बहु अमिता जैन ने, परिवार के सभी सदस्यों से ससुर प्रवीण जैन के, नेत्रदान के लिए अस्पताल के न्यूरोसर्जरी विभागाध्यक्ष एवं शाईन इंडिया के ज्योति मित्र डॉ.रामसेवक योगी से अनुरोध किया। डॉ.रामसेवक ने, परिजनों की इच्छा का मान रखते हुए तुरंत ही कोटा में शाईन इंडिया फाउंडेशन के डॉ. कुलवंत गौड़ को नेत्रदान लेने के लिए झालरापाटन आने को कहा। समय पर निकलने के बाद भी दरा में 1 घंटे तक जाम में फंसे रहे, उसके बाद देर रात झालरापाटन पहुंचे। परिवार के सभी सदस्यों के बीच में, संस्था के ज्योति मित्र अजय मोमिया के सहयोग से, डॉ. रामसेवक योगी और डॉ. कुलवंत गौड़ ने दिवंगत प्रवीण चंद्र जैन के पार्थिव शरीर से नेत्र (पतली पारदर्शी झिल्ली कॉर्निया) प्राप्त किया। संस्था संस्थापक डॉ.कुलवंत गौड़ ने बताया की, शाईन इंडिया एवं मंजूश्री संस्थान के सहयोग से झालरापाटन शहर में अभी तक 10 दिवंगत के नेत्रदान हो चुके हैं।

सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर, बैनर के खिलाफ निगम ने अभियान छेड़ा

- **आयुक्त मेहरा ने सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए**

कोटा (निसं) पोस्टर बैनर पेम्फ्लेट चिपकाकर शहर में सार्वजनिक सम्पत्ति को गंदा करने वालों के खिलाफ नगर निगम सख्त हो गया है। आयुक्त ओम प्रकाश मेहरा के आदेश पर गुरूवार से शहर में दीवारोंए डिवाइडरोंए खम्भों आदि पर से पोस्टर.बैनर हटाने का अभियान प्रारंभ किया गया। मेहरा ने यह पोस्टर.बैनर लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही के निर्देश भी दिए हैं।

आयुक्त मेहरा ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों दीवारों डिवाइडरों खम्भों आदि को पोस्टर.पेम्फ्लेट चिपकाकर और बैनर लगाकर गंदा करना संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत अपराध है। इससे शहर की छवि पर भी नकारात्मक प्रभाव पडता है। इसको देखते हुए विगत दिनों आयोजित बैठक में जिला कलेक्टर ने इनके खिलाफ कार्यवाही के लिए कहा था।

आयुक्त मेहरा ने बताया कि शहर को दो हिस्सों में बांटकर दो टीमों का गठन किया गया है। प्रत्येक टीम में स्वास्थ्य निरीक्षक के नेतृत्व में 20.20 कर्मचारी लगाए गए हैं। पहले दिन गुरूवार को एक टीम ने बोरखेड़ाए पुलिस लाइन तथा आसपास के क्षेत्र से 400 से अधिक तथा दूसरी टीम ने नयापुराए जेकेलोन अस्पताल क्षेत्र में 300 से अधिक पोस्टर.बैनर और पेम्फ्लेट हटाए गए ।

आयुक्त मेहरा ने बताया कि पोस्टरए बैनरए पेम्फलेट हटवाने के साथ इन्हें लगवाने वाले व्यक्तियोंए फर्मों और संस्थाओं के नाम भी नोट किए गए है। इन सभी के खिलाफ सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। यह अभियान शहर के विभिन्न हिस्सों में निरंतर जारी रहेगा।

भविष्य में नहीं लगवाएं पोस्टर, बैनर:- आयुक्त ओम प्रकाश मेहरा ने संस्थाओंए फर्मों व आमजन से आग्रह किया है कि वे भविष्य में सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के पोस्टरए बैनर और पेम्फ्लेट नहीं लगवाएं। पोस्टरए पेम्फ्लेट बैनर लगाने और लगवाने वालों पर निगम सख्त कार्यवाही करेगा।

कार्यालय नगर पालिका भवानीमण्डी
जिला झालावाड़ (राज.)

क्रमांक:-न.पा.भ./भूमि/2025/ दिनांक:-13.11.2025

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न आवेदकों ने नगरपालिका भवानीमण्डी में सीमान्तर्गत पट्टा/पट्टा नवीनीकरण/लीज हस्तांतरण/निर्माण स्वीकृति/अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गई है। उक्त संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अन्दर मियाद 7 योम कार्यालय नगर पालिका में उपस्थित होकर दो प्रतियों में प्रस्तुत करें। बाद गुजरने मियाद कोई उज्र समाअत न होगा।

क्र.सं.	नाम/पिता, पति का नाम	स्थान	विवरण
1	श्रीमती रेखा पोरवाल पत्नी श्री जगदीश चन्द्र पोरवाल	हेमडा वालों की गली नेहरु पार्क के पास वार्ड नं. 38 भवानीमण्डी	निर्माण स्वीकृति
2	श्री हमीद उद्दीन मंसुरी आ. श्री चांद मोहम्मद मंसुरी	रॉयल विलास रेजीडेन्सी आवासीय कालोनी प्लाट नं. 02 मेट्रो हॉस्पिटल के पास भवानीमण्डी	निर्माण स्वीकृति
3	श्री अमीन उद्दीन मंसुरी आ. श्री चांद मोहम्मद मंसुरी	रॉयल विलास रेजीडेन्सी आवासीय कालोनी प्लाट नं. 01 मेट्रो हॉस्पिटल के पास भवानीमण्डी	निर्माण स्वीकृति
4	श्री दिपेन्द्र सिंह जोधा आ. श्री जुझारसिंह जोधा	प्लाट नं. 29 जवाहर कालोनी ब्लाक डी भवानीमण्डी	निर्माण स्वीकृति
5	श्री महादेव मेघवाल आ. श्री दुलीचंद मेघवाल	ब्रजधाम 1 रेजीडेन्सी कालोनी प्लाट नं. 43 निपानिया उदा	निर्माण स्वीकृति
6	श्री कालूनाथ आ. श्री किशन नाथ	वार्ड नं. 10 रामठी	निर्माण स्वीकृति
7	श्री उमेश आ. श्री बाबूलाल	वार्ड नं. 10 रामठी	निर्माण स्वीकृति
8	श्री बद्रीलाल गुर्जर आ. श्री ओंकारलाल	अनन्त विहार आवासीय कालोनी प्लाट नं. सी-139 व सी-140 का उत्तरी भाग रेलवे क्रासिंग के पास भवानीमण्डी	निर्माण स्वीकृति
9	होटल नाहर पैलेस प्रो. श्रीमती आरती जैन पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार नाहर	खसरा नं. 67/3 का उत्तरी भाग लघु उद्योग भूमि बिडला कालेज के सामने डग झालावाड़ रोड गंगपुरा	निर्माण स्वीकृति
10	श्री राजेन्द्र कुमार नाहर आ. श्री इन्दरमल नाहर एवं श्री राजेन्द्र सिंह सिसोदिया आ. श्री तूफान सिंह सिसोदिया	नागरिक बैंक के पास पोस्ट ऑफिस रोड वार्ड नं. 20 भवानीमण्डी	निर्माण स्वीकृति
11	श्री दिलीप सिंह आ. श्री मांगू सिंह	शीतला माता मन्दिर के पास रामठी	69 ए
12	श्री हेमलता बाई पत्नी श्री नारायण सिंह	वार्ड नं. 10 न्यू वार्ड नं. 17 रामठी	69 ए
13	श्रीमती प्रभु बाई पत्नी श्री गोपाल लाल	शीतला माता मन्दिर के पास वार्ड नं. 10 रामठी	69 ए
14	श्री दिनेश कुमार आ. श्री बाबूलाल	वार्ड नं. 10 रामठी	69 ए
15	श्री अशोक कुमार जायसवाल आ. श्री किशन लाल	आदर्श स्कूल चौराहा भैरु जी के पास भवानीमण्डी	69 ए
16	श्रीमती रामनाथी बाई पत्नी स्व. श्री प्रभुलाल, श्री नन्दलाल आ. श्री प्रभुलाल, श्री राकेश कुमार आ. स्व. श्री प्रभुलाल, श्री संजय मेहर आ. स्व. श्री प्रभुलाल, श्री आत्माराम आ. स्व. श्री प्रभुलाल, श्रीमती कविता बाई पुत्री स्व. श्री प्रभुलाल पत्नी श्री विष्णु कुमार श्रीमती सिमरन पुत्री स्व. श्री प्रभुलाल पत्नी श्री पर्वत सिंह	प्लाट नं. 24 का पूर्वी भाग रामनगर आवासीय कालोनी भवानीमण्डी	69 ए
17	आबकारी विभाग जरिए आबकारी निरीक्षक श्री अनिरुद्ध गौत्तम आ. श्री ब्रह्मदत्त गौत्तम	टगर मोहल्ला भवानीमण्डी	69 ए
18	श्रीमती परवीन होरा पत्नी स्व. श्री बलवीर होरा, श्री रोनक होरा व श्री समीर होरा आ. स्व. श्री बलवीर होरा	न्यू सब्जीमण्डी के पास बंद रोड वार्ड नं. 35 भवानीमण्डी	69 ए
19	श्रीमती मांगी बाई पत्नी श्री रामलाल	बागरी मोहल्ला प्लाट नं. 18 का पश्चिमी भाग भवानीमण्डी	आवासीय कालोनी
20	श्री आनदीलाल आ. श्री शोभाराम	रामबक्स मीणा की कालोनी प्लाट नं. 24 भवानीमण्डी	आवासीय कालोनी
21	श्री संयम जैन आ. श्री आशीष जैन, श्री प्रकाशचन्द गुप्ता आ. श्री रामदयाल	पूर्वज रेजीडेन्सी कालोनी प्लाट नं. 14 व 12 का उत्तरी भाग मुक्तिधाम रोड पर भवानीमण्डी	आवासीय कालोनी
22	श्री अजय चौधरी आ. श्री हुकमसिंह चौधरी	रॉयल आवासीय कालोनी प्लाट नं. 03 भवानीमण्डी	आवासीय कालोनी
23	श्री रघुनाथ मेघवाल आ. श्री नंदलाल	अम्बेडकर नगर आवासीय कालोनी प्लाट नं. 62 का पूर्वी भाग बायपास रोड पर भवानीमण्डी	आवासीय कालोनी
24	श्रीमती शान्ति बाई पत्नी श्री प्रकाशचन्द मेघवाल	अम्बेडकर नगर आवासीय कालोनी प्लाट नं. 62 का पश्चिमी भाग बायपास रोड पर भवानीमण्डी	आवासीय कालोनी
25	श्रीमती लीला बाई पत्नी श्री सरदार सिंह	मगन भाई मार्केट आवासीय कालोनी प्लाट नं. 44 सी पुराना गाडी अड्डा भवानीमण्डी	आवासीय कालोनी
26	श्रीमती आशमा बानो पत्नी श्री मोहम्मद फिरोज	नवकार धाम आवासीय कालोनी प्लाट नं. 26 भवानीमण्डी	आवासीय कालोनी
27	श्री सलमान आ. श्री अब्दुल सलीम	प्लाट नं. 21 पूनम कालोनी मुगलाना पचपहाड	आवासीय कालोनी
28	श्री बद्रीलाल गुर्जर आ. श्री ओंकार लाल	प्लाट नं. सी-139 अनन्त विहार आवासीय कालोनी भवानीमण्डी	आवासीय कालोनी
29	श्रीमती प्रेम बाई पत्नी श्री कैलाश चंद्र जोशी	प्लाट नं. डी-9 का उत्तरी भाग अनन्त विहार आवासीय कालोनी भवानीमण्डी	लीज हस्तान्तरण
30	श्रीमती अफसाना पत्नी श्री सलीम भाई	मोहन ट्रक के सामने भवानीमण्डी	अनापत्ति प्रमाणपत्र
31	श्रीमती रामकन्या बाई पत्नी श्री जगदीश चंद गुप्ता	लक्ष्मी नगर आवासीय कालोनी प्लाट नं. ई-4 भवानीमण्डी	अनापत्ति प्रमाणपत्र
32	श्री रामगोपाल पाटीदार आ. श्री कन्हैयालाल	एकल कमर्शयल प्लाट का भाग श्रीपाल के तोल कांटे के पास पचपहाड	प्लाट का उपविभाजन
33	श्री अनिल कुमार गुप्ता आ. श्री रामचन्द्र गुप्ता, श्री मनीष गुप्ता आ. श्री रामचन्द्र गुप्ता, श्रीमती अनिता गुप्ता पत्नी श्री अनिल गुप्ता, श्रीमती पिंकी गुप्ता पत्नी श्री मनीष कुमार गुप्ता	एकल कमर्शयल प्लाट का भाग श्रीपाल के तोल कांटे के पास पचपहाड	प्लाट का उपविभाजन
34	श्रीमती गायत्री पाटीदार पत्नी श्री राहुल पाटीदार	एकल कमर्शयल प्लाट का भाग श्रीपाल के तोल कांटे के पास पचपहाड	प्लाट का उपविभाजन
35	श्री आलोक विजावत आ. श्री हीरालाल विजावत	एकल कमर्शयल प्लाट का भाग श्रीपाल के तोल कांटे के पास पचपहाड	प्लाट का उपविभाजन
36	श्रीमती वर्षा जैन पत्नी श्री आलोक जैन	एकल कमर्शयल प्लाट का भाग श्रीपाल के तोल कांटे के पास पचपहाड	प्लाट का उपविभाजन
37	श्री देवराज डागी आ. श्री लाल दांगी	एकल कमर्शयल प्लाट का भाग श्रीपाल के तोल कांटे के पास पचपहाड	प्लाट का उपविभाजन
38	श्री ईश्वर सिंह आ. श्री शिवसिंह	एकल कमर्शयल प्लाट का भाग श्रीपाल के तोल कांटे के पास पचपहाड	प्लाट का उपविभाजन
39	श्री ईश्वर सिंह आ. श्री शिवसिंह	एकल कमर्शयल प्लाट का भाग श्रीपाल के तोल कांटे के पास पचपहाड	प्लाट का उपविभाजन
40	श्री सुरेन्द्र सिंह आ. श्री दुल्हे सिंह	एकल कमर्शयल प्लाट का भाग श्रीपाल के तोल कांटे के पास पचपहाड	प्लाट का उपविभाजन
41	श्रीमती अनिता राठौर पत्नी श्री प्रकाश राठौर	एकल कमर्शयल प्लाट का भाग श्रीपाल के तोल कांटे के पास पचपहाड	प्लाट का उपविभाजन
42	श्री श्याम सिंह आ. श्री शोदान सिंह	एकल कमर्शयल प्लाट का भाग श्रीपाल के तोल कांटे के पास पचपहाड	प्लाट का उपविभाजन
43	श्रीमती सुमित्रा बाई पत्नी श्री अशोक कुमार राठौर	एकल कमर्शयल प्लाट का भाग श्रीपाल के तोल कांटे के पास पचपहाड	प्लाट का उपविभाजन
44	श्री गोविन्द पाटीदार आ. श्री बजरंगलाल	एकल कमर्शयल प्लाट का भाग श्रीपाल के तोल कांटे के पास पचपहाड	प्लाट का उपविभाजन
45	श्री भूपेश गुप्ता आ. श्री लालचन्द पोरवाल	एकल कमर्शयल प्लाट का भाग श्रीपाल के तोल कांटे के पास पचपहाड	प्लाट का उपविभाजन

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका भवानीमण्डी